



जल विद्युत परियोजनाओं का पर्यावरणीय इतिहास एवं विस्थापन

Dr. Rampal

शोध सार

जल विद्युत की पहचान उर्जा के अत्यन्त प्रभावशाली साधन के तौर पर की गई है। इसकी कुछ अपनी विशिष्टताएं हैं। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि उर्जा का नवीकरणीय साधन होने के कारण इससे दुर्लभ ईंधन भण्डारों की बचत होती है। यह प्रदूषण रहित है, अतः पर्यावरण हितैशी है। भारतीय नदियां प्रतिवर्ष 1677 अरब घन मीटर जल बहाकर सागर में पहुंचा देती हैं। इस जल का सही इस्तेमाल बहु-उद्देशीय बाँध योजनाओं के निर्माण से पूरा किया जा सकता है। बहु-उद्देशीय बाँध जल विद्युत विकास की इन खूबियों के साथ ही इससे जुड़ी अनेक खामियां भी उभर कर सामने आती हैं जिन्हें नजर अंदाज किए जाने से देश के सामने असंतुलित विकास, क्षेत्रीय असमानताएं, सीनीय भू-असंतुलन की समस्याएं बढ़ती हैं। जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्यों के कारण नष्ट होने वाले सामान्य सम्पत्ति संसाधन या डूब क्षेत्र में आने वाली सामान्य संपत्ति का पुनः स्थापन करना विकास कार्यों में आंकलित होना चाहिए। विकास की प्रक्रिया में 'विस्थापन' एक अन्तहीन समस्या है। भारत जैसे विकासशील देशों में यह समस्या अत्यन्त विकराल रूप में सामने आई है। भारत में चल रही अनगिनत सरकारी और निजी परियोजनाओं में हर वर्ष कितने लोग प्रभावित होते हैं इसके लिए कोई स्थायी पैरामीटर निर्धारित नहीं है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम सरकारों को जनहित के नाम पर भूमि अधिग्रहण की इजाजत तो देता है परन्तु पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए कोई स्थाई प्रावधान नहीं देता।

मुख्य बिंदु : पर्यावरणीय इतिहास, जल विद्युत, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, विकास और विस्थापन.

भूमिका

बहु-उद्देशीय बाँध आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास एवं उच्चतर जीवन स्तर की प्राप्ति हेतु उर्जा का अधिकाधिक उपयोग अपरिहार्य होता है।¹ आर्थिक विकास हेतु उच्च प्राविधिकी की जरूरत होती है तथा जितनी उच्च स्तरीय प्राविधिकी का उपयोग होता है, उतनी ही अधिक उर्जा की खपत होती है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए तो उच्च प्राविधिकी के इस्तेमाल की और भी अधिक जरूरत है। भारत जैसे विषाल देश में भावी उर्जा संकट से निपटने के लिए जल विद्युत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां इसके विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। उदाहरण स्वरूप, जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रपातों का बनना, नदी जल की पर्याप्तता, वर्ष पर्यन्त जल प्रवाह आदि भौतिक कारकों की जरूरत होती है, जो यहां विद्यमान हैं। 'भारतीय नदियां प्रतिवर्ष 1677 अरब घन मीटर जल बहाकर सागर में पहुंचा देती हैं।² इस जल का सही इस्तेमाल बहु-उद्देशीय बाँध योजनाओं के निर्माण से पूरा किया जा सकता है।

जल विद्युत की पहचान उर्जा के अत्यन्त प्रभावशाली साधन के तौर पर की गई है। इसकी कुछ अपनी विशिष्टताएं हैं। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि उर्जा का नवीकरणीय साधन होने के कारण इससे दुर्लभ ईंधन भण्डारों की बचत होती है। यह प्रदूषण रहित है, अतः पर्यावरण हितैशी है। कोयला एवं गैस ईंधन चालित पावर स्टेशनों के मुकाबले हाइड्रो पावर स्टेशनों का उपयोगी जीवन काल कहीं अधिक लम्बा होता है।³ उर्जा के अन्य साधनों की अपेक्षा विद्युत उत्पादन, संचालन एवं रख रखाव की लागत कम है। ताप विद्युत और गैस आधारित विद्युत की तुलना में इसकी कार्यकुशलता उच्चतर है। प्रारम्भिक स्थापना के बाद विद्युत उत्पादन की लागत मुद्रास्फीति के प्रभावों से मुक्त होती है। तुरन्त प्रचलन एवं तुरन्त बन्द होने में समर्थ होने के कारण लोढ़ को तुरन्त स्वीकार्य या अस्वीकार्य किया जा सकता है। इसमें ताप विद्युत की तुलना में मशीनें जल चालित होने के कारण बहुत कम गर्म होती हैं, अतएव लम्बी अवधि तक कार्यरत रहती हैं। कच्चे माल के परिवहन व्यय से एक तो काफी बचत हो जाती है, दूसरे

इस विधि से विद्युत उत्पादन करने की क्षमता उच्च स्तर की है। जल प्रवाह की गति मंद पड़ने से भूमिगत जल में अभिवृद्धि होती है जिससे मछलियों आदि का अधिक विकास होता है। जल भण्डारण बाँध पर आधारित जल विद्युत परियोजनाओं से—सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, घरेलू एवं औद्योगिक आवश्यकता के लिए जल, मनोरंजन, नौकायन, पर्यटन आदि लाभ भी मिलते हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित होने के कारण अंदरूनी पिछड़े क्षेत्रों का विकास भी होता है। इस तरह दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में जल विद्युत उत्पादन सस्ता होता है।

बहु-उद्देशीय बाँध से जल विद्युत विकास की इन खूबियों के साथ ही इससे जुड़ी अनेक खामियाँ भी उभर कर सामने आती हैं जिन्हें नजर अंदाज किए जाने से देश के सामने असंतुलित विकास, क्षेत्रीय असमानताएं, स्थानीय भू-असंतुलन की समस्याएं बढ़ती हैं। बड़े बाँधों के निर्माण से विवर्तनिक हलचल उत्पन्न होने की सम्भावनाएं प्रबल हुई हैं। 'कोयना बाँध' का निर्माण इसका उदाहरण है। बड़े बाँधों के निर्माण से भारी पैमाने पर वनों का विनाश होता है जिससे पर्यावरण अवनयन की समस्या उठ खड़ी होती है।⁴ पर्यावरण का हमारे जीवन से सीधा संबंध है। हम जिस स्थान या भू-भाग पर रहते हैं वहाँ के पेड़-पौधे, जल, जंगल और जमीन, वहाँ की सभी सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं, भौतिक अस्तियाँ, ऑक्सीजन तथा वातावरण में पायी जाने वाली अन्य गैसों हमें जीवन तथा उर्जा प्रदान करती हैं। पर्यावरण अर्थात् हमारे आस-पास का वातावरण हमारी रोजमर्रा की क्रियाओं से प्रभावित होता है और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव से जो परिवर्तन होते हैं उनका सीधा सम्बन्ध मनुष्य से है।

बाँध एवं जन-समुदाय

आर्थिक विकास के माध्यम से विभिन्न समुदायों के राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में गुणात्मक बदलाव और स्थायित्व आता है यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस प्रकार से अन्य सीमांत सामाजिक समूहों का विकास भी इसी प्रक्रिया के अधीन होता है। आर्थिक विकास की इस प्रक्रिया से इन सीमांत सामाजिक समूहों के सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं। उपनिवेशक भारत में किए गए अस्थायी विकास कार्यों से मुख्य समुदाय के साथ-साथ सीमांत सामाजिक समूहों को भी लाभ मिला है। प्रभुसत्ता सम्पन्न समुदाय द्वारा किया जाने वाला विकास, सीमांत सामाजिक समूहों और पिछड़े वर्गों को अधिक लाभावित करता है। जहाँ पर 'धन' भ्रष्ट तन्त्र के हाथों, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों तथा सर्वथा ठेकेदारों के द्वारा नियोजित होता है वहाँ एक निश्चित स्तर पर विकास का अपराधिकरण होता है तथा कमजोर वर्गों का षोषण होता है। इस तरह का विकास असन्तुलित होता है जिससे क्षेत्रीय असमानताएं,⁵ गरीबी और पिछड़ापन⁶ को बढ़ावा मिलता है।

बड़े बाँध विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विष्व को ज्यादा उर्जा प्रदान करते हैं। विष्व में जब जल विद्युत की शक्ति को पहचाना गया तो बड़े बाँधों के निर्माण तथा इसके गुणात्मक संषोधन के लिए लगातार प्रयास किए जाने लगे, बहुत सारे समाज शास्त्रियों, अर्थ शास्त्रियों, इतिहासकारों और पर्यावरण शास्त्रियों में एक लंबी बहस चल पड़ी, परन्तु 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में जब बहुत बड़े स्तर पर बड़े बाँधों के निर्माण तथा विजय उत्कर्ष का गान किया जा रहा था उसी समय बड़े बाँधों की कमियाँ भी उजागर हुईं जिनमें पर्यावरणीय मुद्दों तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के पहलुओं पर विचार किया गया।⁷ पर्यावरण असन्तुलन तथा बड़े बाँधों के निर्माण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर पहली प्रायोगिक बहस 1970 के दशक में शुरू हुई। 70 के दशक से पहले बड़े बाँधों के लाभ को ही आंकलित किया जाता रहा है।⁸

प्रथम विष्व युद्ध (1914-1919) के बाद विष्व को आर्थिक महामंदी से गुजरना पड़ा। 1929 तक विष्व के लगभग सभी देश आर्थिक महामंदी की चपेट में आ चुके थे। रूस को छोड़कर विश्व के सभी विकसित तथा विकासशील देशों को आर्थिक महामंदी की मार झेलनी पड़ी। खाद्य उत्पादन तथा बेरोजगारी की समस्या ने विष्व को झकझोर दिया। जब विष्व आर्थिक महामंदी के दौर से गुजर रहा था जल विद्युत परियोजनाएं बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने, घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकता के लिए विद्युत उपलब्ध करवाने, सिंचाई एवं हरित क्रांति लाने में कारगर साबित हो रही थी। अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी० रूजवैल्ट ने इस समस्या से निजात पाने के लिए 'न्यू डील' नीति की घोषणा की जिसके आधार पर 'टैनेसी वैली प्रोजेक्ट' पर बहुत बड़ी मात्रा में धन खर्च करने तथा बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई ताकि अमेरिकन अर्थव्यवस्था को इस समस्या से राहत मिल सके।⁹

" मैं आया, मैंने देखा और मैंने पाया" ये शब्द अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी० रूजवैल्ट ने 'हनुवर बाँध' के उद्घाटन समारोह पर 30 सितंबर 1935 को कहे थे जब उन्होंने नियोजित बाँध का दौरा किया।¹⁰ इसके बाद बड़े बाँध 'विकास के माध्यम' के रूप में पहचाने जाने लगे। भारत में जवाहर लाल नेहरू ने बड़े बाँधों को आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है।¹¹ भाखड़ा बाँध के निर्माण कार्य पर लगे लोगों को देख कर नेहरू ने इसकी तुलना एक बड़े मन्दिर, मस्जिद या गुरुद्वारे से की जहाँ लोग मानवता की सेवा के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं। उनकी मनोवृत्ति राष्ट्रवाद और धार्मिक श्रद्धा के विचारों की मिश्रण थी।

बहु-उद्देशीय बाँधों का निर्माण साधारणतः बिजली उत्पादन तथा जल संग्रहण के लिए किया जाता है। यह बाँध कंकरीट (बदबतमजम) मिट्टी, पत्थर के मिश्रण से तैयार किए जाते हैं। प्राचीन समय के महान् स्मृति स्तंभों के रूप में रखे गए नमूनों को प्राचीन विचार-धारा तथा प्राचीन युग की तकनीकी प्रवीणता का उदाहरण माना जाता है। मिस्र का 'असवान बाँध' चिपोस के महान् पिरामिडों से 17 गुणा अधिक बड़ा था।¹²

'जल' मनुष्य, पशु, पक्षी व वनस्पति सभी के अस्तित्व व संवर्धन के लिए आधारभूत आवश्यकता है। 'गेटे' ने जल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि 'प्रत्येक वस्तु जल से उत्पन्न होती व जल के द्वारा ही प्रतिपादित होती है' अर्थात् जल का बेहतर संरक्षण तथा संग्रहण स्वच्छ एवं सम्पन्न जीवन दे सकता है। जल संग्रहण के लिए बाँधों का निर्माण प्राचीन काल से होता आ रहा है। अभी तक के शोधों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि विष्व में पहले बाँध का निर्माण प्राचीन मिस्र वासियों ने 2950 ई० पू० से 2750 ई० पू० के बीच में किया था जिसे सदा-एल-काफरा (Sada-el-kafara) नाम से पुकारा जाता था। सदा-एल-काफरा अरबी शब्द का अर्थ है 'बाँधों का मूर्तिपूजन (Dam of the Pagans) यह पहला गुरुत्वाकर्षण बाँध (gravity dam) जिसे रूवल चुनाई करके बनाया गया था। इस बाँध को मजबूती प्रदान करने के लिए चूना, पत्थरों तथा चूने के मिश्रण का प्रयोग किया गया था।¹³

बाँध और विकास :- बाँध परियोजनाओं के निर्माण कार्यों के दौरान परियोजना प्रभावित क्षेत्र में किए जाने वाले विकास कार्य, क्षेत्र विशेष को इंगित करके किए जाते हैं। क्षेत्रीय विकास की अवधारणा क्षेत्रीय असन्तुलन को भी बढ़ावा देती है। एक परियोजना के अधीन मुख्यतः वह क्षेत्र विकास कार्यों के लिए इंगित किया जाता है जो सम्बन्धित परियोजना प्रभावित क्षेत्र होता है। सुजाता मार्जित और निर्मला बैनर्जी (2005)के अनुसार, एक क्षेत्र एक मुख्य भाग का मुख्य उपमण्डल होता है जहां सामान्यतः आन्तरिक रूप से एक सत्ता स्थापित हो।¹⁴ क्षेत्र की सीमा का निर्धारण किस आधार पर किया जाए इस सम्बन्ध में समाजशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों, भूगोल वेताओं की अलग-अलग धारणाएँ हैं परन्तु परियोजना प्रभावित क्षेत्र की सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वह सम्पूर्ण क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से या मुख्य क्षेत्र से जुड़ी आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या पर्यावरणीय पहलुओं, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित करता है; परियोजना प्रभावित क्षेत्र के रूप में आता है। गिल (2003) के अनुसार, “नदी तट के नजदीक रहने वाले लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नदियों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण स्वरूप, खेवट या नौकायन का काम करने वाले, नदियों में आने वाली लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, नदियों के पास बने घराट आदि नदी घाटियों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के साधन होते हैं।¹⁵

जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्यों के कारण नष्ट होने वाले सामान्य सम्पत्ति संसाधन या डूब क्षेत्र में आने वाली सामान्य संपत्ति का पुनः स्थापन करना विकास कार्यों में आंकलित न करना आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्रश्नचिन् खड़े करता है। जल विद्युत परियोजनाएं एक आत्मनिर्भर किसान या समाज से उसका रोजगार तथा रोजगार का साधन (कृषक भूमि तथा इससे जुड़े अन्य कारोबार) छीनकर उसे पंगु एवं बेरोजगार बना देती है। यदि आर्थिक विकास के नाम पर डूब क्षेत्र की सार्वजनिक सुविधाओं को पुनः स्थापित कर भी दिया जाए तो उसे आर्थिक विकास की संज्ञा नहीं दी जा सकती क्योंकि आंकड़ों में बेरोजगारी में वृद्धि तथा सामान्य संपत्ति संसाधनों के पुनःस्थापन से आंकड़ों में अस्थिरता ही आएगी विकासोत्तमक वृद्धि नहीं होगी। जल विद्युत परियोजनाओं के लाभ तथा आर्थिक विकास का दूसरा पहलू है विद्युत का उत्पादन बढ़ना, सिंचित भूमि की मात्रा में वृद्धि होना, विद्युत उपलब्धता के कारण औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होना आदि। बाँध आर्थिक विकास में संस्थागत विकास की भूमिका निभाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय शब्दकोष के अनुसार, “विकास एक क्रिया, प्रक्रिया या क्रिया का परिणाम है जिसके अनुसार किसी देश की सामान्य कार्य प्रणाली के कारण सुधार होता है।¹⁶ साधारणतः विकास एक प्रक्रिया है जिसमें हम देश के प्राकृतिक और मानव संसाधनों, तकनीकी अभिक्रियाओं, संस्थागत सुविधाओं, संघ और संगठन की सेवाओं, सरकारी योजनाओं और नीतियों का प्रयोग अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए करते हैं, विकास प्रक्रिया कहलाती है तथा कार्य का परिणाम विकास कहलाता है। आर्थिक विकास के सम्बन्ध में अर्थ शास्त्रियों के अनेक मत हैं परन्तु बाँध परियोजनाओं के सम्बन्ध में जल विद्युत, सिंचाई, नौकायन, मछली पालन और पर्यावरणीय सुधार की मदों का अध्ययन किया जाता है।

अन्तहीन समस्या रू विस्थापन :- नव उदारवाद और संस्थागत विकास के युग में आधुनिक औद्योगिक और शिल्प कला विज्ञान के माध्यम से विकास की प्रक्रिया में ‘विस्थापन’ एक अन्तहीन समस्या है। विष्व बैंक की रिपोर्ट (2007-08) के अनुसार हर वर्ष विभिन्न निर्माण परियोजनाओं से एक करोड़ लोग विस्थापित हो जाते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में यह समस्या अत्यन्त विकराल रूप में सामने आई है। भारत में चल रही अनगिनत सरकारी और निजी परियोजनाओं में हर वर्ष कितने लोग प्रभावित होते हैं इसके लिए कोई स्थायी पैरामीटर निर्धारित नहीं है। विष्व बाँध समिति नवम्बर 2000 की रिपोर्ट जारी करते हुए नैल्सन मंडेला ने भारत में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं का हवाला देते हुए कहा था, ‘पिछले 25 वर्षों के लगभग 16.67 मिलियन विस्थापितों में 0.67 मिलियन विस्थापितों का आंकड़ा भारत प्रत्येक वर्ष छू रहा है।¹⁷ इसी सन् 2000 के बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और भारतीय जल विद्युत मंत्रालय ने अगले 25 वर्षों तक 200 विलियन क्यूबिक मीटर (इपससपवद बनइपव उमजतमे) जल संग्रहण योजना बनाई जिसे ‘भारत निर्माण’ की संज्ञा दी गई है। इस योजना के अनुसार भारत 50 हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा। विष्व बाँध समिति 2000 के अनुरूपों के विपरीत भारत में बहुत सारी बड़ी विद्युत बाँध परियोजनाओं को कार्य रूप दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 29376 मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभावना आंकी गई है जो भारत की कुल संभावित जल विद्युत का 25 प्रतिषत है।¹⁸ हिमाचल प्रदेश में लगाई जा रही इन परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन के आंकड़ों को तो निर्धारित कर लिया गया है परन्तु इनके कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए प्रदेश सरकार के पास कितने कारगर उपाए हैं? हिमाचल प्रदेश की लगातार कम होती कृषि भूमि, हर वर्ष बढ़ता तापमान का पारा, भूमिहीनों की संख्या में होती वृद्धि, हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डाल रही है। आर्थिक विकास के नाम पर किया जा रहा ‘विस्थापन’ हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण पर बेरोजगारी और असमानता की छाप छोड़ रहा है।

हिमाचल प्रदेश नौतोड़ लैण्ड रूल ,भ्रुंउंबीस च्त्कमौ छंनजवत र्दक लसमेद्ध1968 में कोल बाँध परियोजना के लिए ‘पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति- नियम आठ-ए¹⁹ में किया गया परिवर्तन इस बात का द्योतक है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की कोई स्थाई पुनर्स्थापन नीति नहीं है। एक ही राज्य में चलाई जा रही अनेक विद्युत परियोजनाओं तथा अन्य विकास कार्यों से विस्थापित होने वाले लोगों के लिए अलग-अलग नियम भारत की एकता और अखण्डता को, संवैधानिक आधार पर दिए गए समानता के मौलिक अधिकारों को चुनौती देने वाले नियम हिमाचल प्रदेश के वातावरण को ठेस पहुंचाने वाले हैं।

ब्रिटिश भारत में 19वीं शताब्दी में विस्थापन की अनेक प्रक्रियाएं उत्पन्न हुईं। ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थ-व्यवस्था और कानूनी पद्धति में ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों के अनुकूल अनेक परिवर्तन किए गए। प्रथम स्तर पर ब्रिटिश उपनिवेशों का अन-औद्योगिकरण किया गया। तत्पश्चात भारतीय उपनिवेशों को ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था के अनुकूल कच्चे माल की मण्डियों में ढालने के नियम बनाए गए और ब्रिटिश औद्योगिक क्रान्ति को बढ़ावा दिया गया। दूसरे स्तर में भूमि अधिग्रहण कानूनों को ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था के अनुसार आसान बनाया गया। अधिक कारगर नियमों में 1793 के स्थायी बन्दोबस्त की जगह 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया जो भारत की आजादी के बाद भी कई वर्षों तक उसी रूप में चलता रहा। एक नया कानून 1824 ई० में कलकत्ता में चलाया गया जिसका उद्देश्य षोरा के उत्पादन के लिए भूमि अधिग्रहण करना था।²⁰ इसी प्रकार तीन अन्य

नियम 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत बनाए गए। 1864 से रेल लाइन के लिए लकड़ी के स्लीपरों की मांग बढ़ने से 'वन कानून' में परिवर्तन किया गया तथा ब्रिटिश राजस्व के अनुरूप लकड़ी की मांग को पूरा किया गया।²¹ यह ज्ञात नहीं है कि इन कानूनी नियमों से कितने लोग प्रभावित हुए तथा इन आर्थिक परिवर्तनों से कितने लोग विस्थापित हुए परन्तु इन कानूनों के खिलाफ बहुत सारे जन-जातीय तथा दलित संघर्ष उत्पन्न हुए। इन संघर्षों में अधिक ज्ञात संघर्ष पुणे के नजदीक मुलसी-पीत्ता संघर्ष-1920 ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ा गया था।²²

राज्य के एकाधिकार स्थापन के विषिष्ट लक्षण भूमि तथा अन्य सामान्य सम्पत्ति संसाधनों और प्राकृतिक स्रोतों पर होते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश विषय के अनेक देशों में स्थापित थे। इन उपनिवेशों का आर्थिक शोषण ब्रिटिश साम्राज्य ऐसे ही भूमि अधिग्रहण कानूनों के अन्तर्गत करता आ रहा था। प्खेत उपनिवेशों पर ब्रिटिश साम्राज्य के ऐसे ही अनेक अधिग्रहण कानून शताब्दियों तक चलते रहे। ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेशों पर ब्रिटिश साम्राज्य का 'तिरा नूलियस' कानून चलता था जिसका अर्थ था 'भूमि पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं' अर्थात् भूमि को कोई भी हथिया सकता है। 1992 ई० में ऑस्ट्रेलियाई ज्युरी द्वारा इसे असंवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया गया।²³ जबकि यह सिद्धान्त भारतीय भूमि कानूनों में आजादी के बाद भी उसी रूप में चलता आ रहा है। 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून में प्रदेश सरकारें अपनी इच्छा के अनुरूप थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इसे चला रही हैं। इस सिद्धान्त का पहला तथ्य यह है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत 'पट्टा' जपजसम कममकद नहीं होता है और 'पट्टा' राज्य की सम्पत्ति है। दूसरा तथ्य यह है कि, राज्य को यह अधिकार है कि वे कभी भी किसी भी भूमि को 'लोकहित' के लिए संवैधानिक करार दे सकती है और अधिग्रहण कर सकती है। परन्तु यह 'लोकहित' कभी भी सही रूप में परिभाषित नहीं हुआ है।²⁴ हिमाचल प्रदेश में 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून और हिमाचल प्रदेश नौतोड़ भूमि अधिनियम-1968, में कोल बाँध परियोजना के पुनःस्थापन और पुनर्वास नियम में विस्थापितों के लिए एक नई धारा जोड़ दी गई जो कोल बाँध परियोजना से प्रभावित लोगों पर ही लागू होगी। इस धारा से यह सिद्ध नहीं होता कि भूमि का अधिग्रहण, जिसे लोकहित के लिए किया गया उसमें विस्थापितों का क्या हित है? क्या वह भारत देश के नागरिक नहीं जिनकी कृषि भूमि छीनकर उन्हें भूमिहीन बेरोजगार बना दिया गया? देश की अर्थ-व्यवस्था को जल विद्युत परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले भूमिहीन बेरोजगारों की संख्या कहां ले जाएगी यह एक अध्ययन का विषय है। जल विद्युत परियोजनाओं के कारण कम होते जंगल और जमीन, पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। आधुनिकता की इस दौड़ में विस्थापन और पुनर्वास की समस्याएं भयानक रूप ले रही हैं जिसका अध्ययन पुनर्वास और पुनर्स्थापन अध्याय के अन्तर्गत किया जाएगा।

भारत में बहु उद्देशीय बाँध परियोजनाओं का ऐतिहासिक परिदृश्य :- भारत में बाँध का निर्माण सिंचाई, पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए प्राचीन काल से किया जाता रहा है। प्राचीन काल में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया जाता था। मौर्य काल के इतिहास में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया जाता था। मौर्य काल के इतिहास में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण का कार्य चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में किया गया था चन्द्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। गुप्त वंश के काल में अनेक झीलों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया गया जिसके कारण गुप्त शासकों के राजस्व में वृद्धि हुई तथा गुप्त वंश के काल में अनेक प्रकार के साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं भवन निर्माण कार्यों का विकास हुआ। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृषि उत्पादन का विशेष महत्व था। सम्राट अशोक को भारत के महान् राजाओं में से एक माना जाता है। अशोक ने अनेक झीलों और नहरों का निर्माण करवाया था।

भारत में विद्युत शक्ति का विकास छोटे शक्ति संयंत्रों के माध्यम से भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत किया गया जिसका नियन्त्रण नीजि तथा सरकारी उपक्रमों के पास सांझे रूप में था। पहला विद्युत उत्पादन संयंत्र 1879 ई० में दार्जिलिंग में लगाया गया। इस संयंत्र के परिणाम स्वरूप 1902 ई० में शिवासमुद्रम (मैसूर) जल विद्युत संयंत्र लगाया गया। उपनिवेशवादी भारत में शक्ति संयंत्रों की स्थापना, उत्पादन तथा वितरण संभावनाओं की तलाश शुरू हो चुकी थी। वास्तव में शहरी और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में एक धीमी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। भारत में विद्युत उत्पादन का आधे से अधिक भाग चार बड़े शहरों द्वारा उपभोग किया जा रहा था जिनमें बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद और कानपुर थे। 1910 ई० में पहला विद्युत अधिनियम पास किया गया जिसमें व्यक्तिगत निजि नियन्त्रण की प्रक्रिया को नियंत्रित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति ने 1938 ई० में विद्युत के विकास, तथा विद्युत के उत्पादन तथा वितरण को देश के विकास का प्रमुख साधन माना। इन उपायों को 1921 से 1941 के बीच में विद्युत नीति में शामिल किया गया जिसके कारण 1921 से 1941 के बीच में भारत में स्थापित विद्युत संयंत्रों की क्षमता 0.13 लाख किलो वाट से बढ़कर 1.3 लाख हो गई। 1941 के प्रारंभ में भाप संयंत्रों की स्थापित क्षमता 0.6 लाख किलो वाट, जल विद्युत की 0.5 लाख किलो वाट तथा मिट्टी के तेल से चलने वाले संयंत्रों की क्षमता 0.1 लाख किलो वाट आंकी गई थी।²⁵

आधुनिक भारत में बहु उद्देशीय जल परियोजनाओं की शुरुआत डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने ही की थी जब वह 1942 से 1946 तक वाइसराय की एक्ज़ेक्टिव कौंसिल के लेबर सदस्य थे। उन्होंने ही उस अवधि में उड़ीसा में दामोदर घाटी परियोजना चलाई थी और बहुत सी ऐसी अन्य परियोजनाओं का सर्वेक्षण भी करवाया था। उन्होंने ही वर्तमान बिजली बोर्डों की स्थापना की थी। उन्होंने सेंट्रल वाटर एंड पॉवर कमीशन बनाया था। उन्होंने ही बड़ी नदियों द्वारा यातायात और मॉल ढोने का विचार प्रकट किया था। उन्होंने विस्फोटों दुआरा नदियों को गहरा करके बाढ़ रोकने का विचार भी दिया था। इस प्रकार उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता कहा जा सकता है।²⁶

भारत की आजादी इसकी जनता के लिए एक ऐसे युग की शुरुआत थी, जो एक नए दर्शन से अनुप्राणित था। 1947 में देश ने अपने आर्थिक पिछड़ापन, भयंकर गरीबी, करीब-करीब निरक्षरता व्यापक तौर पर फैली महामारी, भीषण सामाजिक विषमता और अन्याय के उपनिवेशवादी विरासत से उबरने के लिए अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत की। 1950 में भारत का इस्पात उत्पादन 10 लाख टन, कोयले का उत्पादन 3 करोड़ 28 लाख टन, सिमेंट का 27 लाख टन, 1 करोड़ 40 लाख बिजली बल्ब, प्रति व्यक्ति 14 किलोवाट घंटा बिजली का उत्पादन होता था जो 1984-85 तक बढ़कर क्रमशः इस्पात उत्पादन 69 लाख टन, कोयले का उत्पादन 15 करोड़ 52 लाख टन, सीमेंट 2 करोड़ 90 लाख टन, बिजली बल्ब 31 करोड़ 78 लाख, तथा प्रतिव्यक्ति 160 किलोवाट घंटा बिजली का उत्पादन हो गया।²⁷ भारत के आर्थिक विकास के यह आंकड़े पंच-वर्षीय योजनाओं

के योजनाबद्ध विकास का परिणाम है। भारत के आर्थिक विकास में बड़े बाँधों के निर्माण का विशेष योगदान रहा है। बहु-उद्देशीय बाँध के निर्माण से जहां बिजली उत्पादन बढ़ा है, सिंचित कृषि भूमि की मात्रा में वृद्धि हुई है वहीं इसके कारण भारत आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी से निकल कर एक सम्पन्न एवं समृद्ध देशों की श्रेणी में आ गया है। 1990.91 में 7177 अरब किलोवाट 1994.95 में 7674 अरब किलोवाट हो गया परन्तु 1995.96 में यह घटकर 7375 अरब किलोवाट ही रह गया। लेकिन वर्ष 2000 में यह उत्पादन बढ़कर 80555 अरब किलोवाट हो गया। 2003.2004 में 73796 अरब यूनिट जल विद्युत का उत्पादन हुआ।

निष्कर्ष : निष्कर्ष आधार पर बाँध परियोजनाओं के लिए निम्न सुझाव परिलक्षित होते हैं।

- 1 जल विद्युत परियोजनाओं की योजना एवं निर्माण का आधार बहु-उद्देशीय एवं पर्यावरण हितैषी निर्धारित हो।
- 2 विशेष जन समुदाय जैसे अनुसूचित जाति, जन जाति का विस्थापन कम से कम निश्चित हो।
- 3 परियोजना प्रभावितों को परियोजना से उपलब्ध होने वाले रोजगारों का लाभ निश्चित हो।
- 4 परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों को स्पष्ट राजनैतिक उद्देश्यों के आधार पर जानकारी उपलब्ध हो।
- 5 पुनर्स्थापन नीतियों में विस्थापितों के हितों की सुरक्षा गारन्टी को निश्चित किया जाए।
- 6 परियोजना से उत्पन्न होने वाली लाभकारी योजनाओं में सभी विस्थापित वर्गों के हित समान निश्चित हों।
- 7 परियोजना से उत्पन्न होने वाले रोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण की सुविधा विस्थापितों को उपलब्ध हो।
- 8 भूमि के बदले भूमि उपलब्ध करवाने की गारन्टी हो।
- 9 डूब क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को पुनः स्थापित किया जाए।
- 10 भूमि अधिग्रहण कानून 1894 जनहित का आधार, भूमि अधिग्रहण का अधिकार तो देता है परन्तु यह सुनिश्चित नहीं करता कि विस्थापितों का बसाव कैसे हो। इस कानून को विस्थापितों के प्रति जबाबदेह बनाया जाना आवश्यक है।

सन्दर्भ स्रोत

- 1 लैंसी लोबो और शशीकांत कुमार, *लैण्ड ऑक्विजिशन: डिस्प्लेसमेंट एण्ड रीसेटलमेंट इन गुजरात- 1947-2004*, सेज पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2009, पृ० सं०-2
- 2 ए० विद्यानाथन, *इण्डियाज वाटर रीसोर्सिज-कॉन्ट्रिब्यूटिंग टू इन्फ्रस्ट्रक्चर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस*, न्यू दिल्ली, 2006, पृ० सं० 6-7
- 3 माईकल टेंजि, *दा एनर्जी क्राइसिस-वर्ल्ड स्ट्रगल फॉर पावर एण्ड वैल्यू*, मंथली रीव्यू प्रेस, न्यूयॉर्क, लन्दन, 1974, पृ० सं० 167-195
- 4 द हिन्दु, 'सर्वे ऑफ एनवायरमेंट', वार्षिक पत्रिका, (2006), पृ० सं० -61
- 5 निर्मला बैनर्जी, *डिस्प्लेसमेंट एण्ड डिस्पेरीटी*, ऑरिएन्ट लॉगमैन, न्यू दिल्ली, 2005, पृ० सं० 37-57
- 6 एम० कैरनीय, *व्हाय इकॉनॉमिक एनालिशिज इज एशॉटियल टू रीसेटलमेंट*, वॉशिंगटन डी. सी., द वल्ड बैंक, 1999, पृ० सं० 1-49
- 7 अरुण, *अग्रवाल, एन्वायरमेंटलिटी : टेक्नॉलॉजिज ऑफ गवर्नमेंट एण्ड द मॅकिंग ऑफ सबजेक्ट*, एन.सी. ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस, डरहम, 2005, पृ० सं० 37-57
- 8 मॉनिरुल हसन, *इन्टरोगेटिंग डेवलपमेंट: स्टेट, डिस्प्लेसमेंट एण्ड पापुलर रीजिस्टेंस इन नॉर्थ इस्ट इण्डिया*, सेज पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2008, पृ० सं० 17
- 9 संजीव, खगरम, *डैम एण्ड डिस्प्लेसमेंट*, कॉर्नल यूनिवर्सिटी प्रेस, 512 ईस्ट स्टेट स्ट्रीट, इथाका, न्यू यॉर्क, 2004
- 10 पैट्रिक मैकुले, *साइलेंट रिजर्व: द इकोलॉजी एण्ड पॉलिटिक्स ऑफ लार्ज डैमज*, ओरियन्ट लॉगमैन, 1996, पृ० सं० 17
- 11 आर० रंगाचारी, *भाखड़ा नगल प्रोजेक्ट्स- सोसियो इकॉनॉमिक एण्ड एन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2006, पृ० सं० 65/ 'जवाहर लाल नेहरू सपिचिज', वॉ०-८८ मार्च 1953- अगस्त 1953
- 12 डेनियल डीउडेनी, *राईज ऑफ एनर्जी : द हाइड्रो पावर पोर्टेन्शियल*, वल्ड वॉच पेपर 44, जून 1981, पृ० सं० 5
- 13 कीविन आंकाडा, *हिस्ट्री ऑफ डैमज/ ऑन वल्ड वाईड वैब*
- 14 निर्मला बैनर्जी एण्ड सुजाता आर्जित, *डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एण्ड डिस्पेरीटी*, ऑरियन्ट लॉगमैन, 2005, पृ० सं० 30
- 15 मन्दिर गिल, *लार्ज डैम : रीसेटलमेंट प्लानिंग एण्ड इम्प्लेमेंटेशन इन्फ्रस्ट्रक्चर*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली, 2003, पृ० सं० 76
- 16 वैवस्टर, थर्ड न्यू इन्टरनेशनल डिकस्रनरी, द लक्ष्यद्वीप प्रेस शिकागो, यू एस ए, 1968, पृ० सं० 618
- 17 द हिन्दु (वार्षिक पत्रिका), 'सर्वे ऑफ एनवायरमेंट', 2006, पृ० सं० 64
- 18 गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया-प्लानिंग कमीशन, *हिमाचल प्रदेश डेवलपमेंट रिपोर्ट-2005*, एकैडमिक फाऊंडेशन, न्यू दिल्ली, 2005, पृ० सं० 124
- 19 हिमाचल प्रदेश, 'असाधारण राजपत्र, 11 सितम्बर 2001/20 मार्चपद 1923', पृ० सं०-2
- 20 संजय उपाध्याय एण्ड भवानी रमण, *लैण्ड ऑक्विजिशन एण्ड पब्लिक परपज*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली, 1998, पृ० सं० 1-25
- 21 माधव गाडगील एण्ड रामचन्द्र गुहा, *इकोलॉजी एण्ड इक्यूपमेंट: द यूज एण्ड अब्यूज ऑफ नेचर इन कॉन्टैम्पेरी इण्डिया*, पेंगुन बुक प्रेस, न्यू दिल्ली, 1995, पृ० सं० 46-98
- 22 आर. वी. भूस्कट, *रीहॉबिलिटेशन पॉलिशी एण्ड लॉ इन इण्डिया ए राईट टू लाईबलीहुड*, इण्डियन सोसल इन्स्टीच्यूट प्रेस, न्यू दिल्ली, पृ० सं०- 169-191
- 23 मॉनिरुल हसन, *इन्टरोगेटिंग डेवलपमेंट: स्टेट, डिस्प्लेसमेंट एण्ड पापुलर रीजिस्टेंस इन नॉर्थ इस्ट इण्डिया*, सेज पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2008, पृ० सं०-25
- 24 उषा रमानाथन, *लैण्ड ऑक्विजिशन (अमेपूमेंट) बील-1998 : फॉर लिवरेलाइजेशन और फॉर द पुअर?*, इण्डियन सोसल इन्स्टीच्यूट, न्यू दिल्ली, 1999, पृ० सं० 19-24
- 25 डी० डी० गुरु एण्ड क्यूमार एहसान, *एनर्जी एण्ड इकॉनॉमिक डेवलपमेंट*, अमर प्रकाशन, दिल्ली, 1987, पृ० सं०-54-76
- 26 भगवान दास, दस स्पोक आंबेडकर रू खंड ३ए:१९७९ द्वा ए आंबेडकर साहित्य प्रकाशन ए बंगलौर ;इंडियाद्वए पृष्ठ १३.६५
- 27 विपिन चन्द्र, *आजादी के बाद का भारत 1947-2000*, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2004, पृ० सं०-15